न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 413/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार ज़रिये तहसीलदार माण्डलगढ़ –प्रार्थी	**बनाम**	1. सारू बेवा नंदा भील निवासी मोई तहसील 2. हीरा पिता रतना भील निवासी मोई माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षैत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17(अ)

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 17 .11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षैत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम मोई पटवार हल्का जालिया की आ.न. 394/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं। विपक्षीगणों के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम मोई पटवार हल्का जालिया की आ.न. 394/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति

अति. जिला कलक्टर

परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम मोई के आ.न. 394/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर सारू बेवा नंदा एवं हीरा पिता रतना भील सा. देह के नाम आवंटित ग्राम मोई के आराजी नं. 394/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार माण्डलगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम मोई की आ.न. 394/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ़ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17 .11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा